अतिमहत्वपूर्ण / तत्काल / समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता

पत्र संख्या–न्याय–रिट / 2021–22 / 186 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, नोएडा।
2–समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3–एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, प्रयागराज।
4–एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य),
वाणिज्य कर, लखनऊ।

(वाद अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 16, जून 2021**

विषय– माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु लम्बित प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक दिनांक 11.06.2021 से प्राप्त निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने वाले प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त के लम्बित होने पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं 26.06.2021 तक प्रत्येक लम्बित मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा कर सूचना प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं ।

महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित लम्बित वादों की संख्या एवं विभाग द्वारा प्रदर्शित वादों की संख्या में अन्तर होने के दृष्टिगत जिन मामलों में विभाग द्वारा प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जा चुका है उन मामलों को महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर अपडेट किये जाने एवं अभियान चलाकर लम्बित मामलों में प्रतिशपथ–पत्र दायर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन की बैठक में यह पाया गया कि वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र के कुल 265 मामले अवशेष हैं, जिसमें 91 मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बन्धित तथा 174 मामले लखनऊ खण्डपीठ से सम्बन्धित हैं। इस सन्दर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज द्वारा अपने पत्रांक–19 दिनांक 05.04.2021 **(प्रति संलग्न)** द्वारा पेंडिंग कुल 81 मामलों की सूची प्रेषित की थी, जबकि एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक–152 दिनांक 10.06.2021 **(प्रति संलग्न)** द्वारा उच्च न्यायालय पीठ लखनऊ के समक्ष कुल 87 वादों में प्रतिशपथ पत्र

पेंडिंग होना सूचित किया गया है। उक्त समस्त मामलों की सूची पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त सभी मामलों में दिनांक 26.06.2021 तक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन की अपेक्षानुसार अभियान चलाकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संलग्न सूची में वर्णित समस्त मामलों में सात दिवस के अंदर प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर दिनांक 26.06.2021 तक मुख्यालय को सूचित किया जाए। उच्च न्यायालय कार्य के अधिकारी महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर सूचनाएं अपडेट कराकर अद्यतन सूचना दिनांक 30.06.2021 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह पत्र कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

संलग्नकः– उक्त मामलों की सूची ।

भवदीय,

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि ज्वाइण्ट कमिश्नर, आई0टी0 अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

16-06.21

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।